

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम - 26)

अज अदात

उपरक 05 कार्यकारी (मुकाम) माण्डजळे

सोबोव केकर 10 नरप तालिह बनाव इरपरसित

किस्म मुकदमा 212 रानीवा 0-35-R-1-2 एरे ए/न/151 एरे सन 78/2017

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
--------------	------------------------------------	---

17/11/17	<p>प्राथीया के वकील श्री अर्जुनासिंह राज-पुरोहित के प्राथीन-पत्र अनुरोध द्वारा 212 रानीवा, 0-35-R-1-92 R/151 एरे के तहत इस आदेश का पेश किया कि सरहद मौजा के तालिया के खसरा नं० 73 खसरा 1.5176 है, खसरा नं० 74 खसरा 1.8054 है, खसरा नं० 75 खसरा 2.1878 है, खसरा नं० 76 खसरा 0.0632 है, खसरा नं० 78 खसरा 0.5818 है, खसरा नं० 79 खसरा 0.0507 है, खसरा नं० 80 खसरा 0.3869 है; खसरा नं० 81 खसरा 0.5185 है, खसरा नं० 82 खसरा 0.3162 है, कुल खसरा 7.4111 है एवं खसरा नं० 77 खसरा 8.9663 है उक्त पृष्ठ के स्वामीदार विजयसिंह, कानसिंह पी० चतरासिंह का हिस्सा 1/2 अमरावरासिंह सवाडीसिंह की 0 फतेहसिंह हिस्सा के नाम दर्जसुदा थी। प्राथीय व अर्थात् सं० 1 से 2 के पूर्वज दादा विजयसिंह साव-चतरासिंह का 1/4 हिस्सा एक एक स्वामीदार के कालु था तथा कानसिंह का मत था। प्राथीया के दादा व पिता का देहांत होने पर अर्थात् सं० 1 से 2 के अपने नाम विरासत का नामांकन करवा कर प्राथीयासिंह के इनके एक एक से</p>	
----------	---	--

29/7/19

पत्रावली पेश हुई
आज पीठारीय अधिकारी महोदय,
अब्दा कानून के तहत है/अवकाश पर है/
बेठक के पत्रों को हटाने है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आदेश
दिनांक 20/9/19 को पेश हो।

रिटर
उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

20/9/19

वकूलाय अनुपस्थित।
आज करीब 10:30 बजे न्यायालय में
अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है।
अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली
दिनांक 15/9/19 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं.

15/11/19

पत्रावली पेश हुई
आज पीठारीय अधिकारी महोदय,
अब्दा कानून के तहत है/अवकाश पर है/
बेठक के पत्रों को हटाने है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आदेश
दिनांक 78/10/19 को पेश हो।

रिटर
उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

18/11/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील डा. अरुण
वकील अरुण (2, 7, 12 के अर्थ) उपर वकील डा. अरुण
अथवा डा. अरुण को दोबारा -आमाल्य को
आवाज लगाए गए दोपहर 2 बजे आवाज लगाए
गई कि डा. अरुण को उपस्थित रहा। अतः
उ. 30 दोपहर में आवाज लगाए गये कि डा. अरुण पर
अभियोग डा. अरुण अतः आज को डा. अरुण
प्रति वाद आवाज लगाई गई कि डा. अरुण
या अभियोग उपर नहीं। अतः वाद 2 आवाज
आवाज के तहत 2 बजे 7-आमाल्य में डा. अरुण पर
को लगे के कोई उपर नहीं। अतः उपर डा. अरुण पर व
अभियोग डा. अरुण को अरुण अतः पेशी के तहत
दा. अरुण को 0-9-2-8 CPC के तहत खारिज को
जाती है पत्रावली के तहत अरुण को नंबर के
मम को निर्णय आज दिनांक 18/11/19 को अरुण -आमाल्य
में आवाज आया।

सहायक क्लर्क
मारवाड़ जंक्शन

